संख्या-70/2017/75 मु0स0/37-1-2017-8(01)/2017

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 गो सेवा आयोग,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2017

विषय:- प्रदेश के समस्त जनपदों में गो-संरक्षण समितियाँ गठित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0 गो सेवा आयोग के पत्र संख्या-962/उ0प्र0गो0से0आ0, दिनांक 17-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, उ0प्र0 गो सेवा आयोग के उपरिसंदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में निम्नानुसार गो संरक्षण समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य-सचिव
4	वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, लघु सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगण, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद के समस्त नगर निकायों के मुख्य अधिशासी अधिकारीगण।	सदस्य
5	जनपद की समस्त निबंधित गोशालाओं के अध्यक्ष अथवा महामंत्री, जिनको गोशालाओं द्वारा नामित किया जाये।	सदस्य
6	उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग द्वारा नामित दो गो-सेवा प्रेमी व्यक्ति।	सदस्य

3- उपरोक्त गो-संरक्षण समितियाँ जनपद में कार्यरत गोशालाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी, तथा उनको स्वावलम्बन की ओर बढाने हेतु बायोगैस, कम्पोस्ट, पंचगव्य से

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बनाये जाने वाले विभिन्न पदार्थों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कायल, गोनाइल (गो मूत्र से बनी फिनायल), औषधियों आदि के उत्पादन एवं विक्रय में सहायता प्रदान करेगी।

4- प्रदेश के सभी जनपदों की गो-संरक्षण समितियॉं उ0प्र0 गो सेवा आयोग के पर्यवेक्षण मे कार्य करेंगी। गठित समितियों की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जायेगी तथा बैठकों के कार्यवृत्त उ0प्र0 गो सेवा आयोग, लखनऊ की समीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जायेगें।

भवदीय,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-70/2017/75 मु0स0(1)/37-1-2017, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
17- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
18- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://Shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।